र व तारीख
ाम जो इस
तामील में
हुये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 24/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. हरिविलास पुत्र श्री सुखराम जाति काछी निवासी बरेला पुरा धौलपुर ।
2. पी.एन.बी. शाखा धौलपुर।

---- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

दिनांक – 14.06.18

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 153 रकवा 1 वीघा 12 विश्वा किस्म बारानी दोयम बाके ग्राम बरेलापुरा तहसील धौलपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 153 रकवा 1 वीघा 12विश्वा ग्राम बरेलापुरा पर स्कूल भवन स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत फिरोजपुर में पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में निर्माण कार्य

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

कर लिया है जिसमें स्कूल संचालित है। इस प्रकार अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थी को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2070–73 ग्राम बरेलापुरा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 153 रकवा 1 वीघा 12 विश्वा पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य कर दीपू पब्लिक स्कूल स्कूल का भवन स्थापित कर लिया है। अप्रार्थी के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 153 रकवा 1 वीघा 12 विश्वा ग्राम बरेलापुरा के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा 153 रकवा 1 वीघा 12 विश्वा ग्राम बरेलापुरा तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विपरपुर में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)